

**आई0डी0-1**  
**(नियम-931)**  
**सूचना**

**भाग की थोक आपूर्ति के ठेके के लिए निविदा की शर्तें**

इस सूचना के द्वारा भारत में स्थित किसी व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति से **01-04-2018** से **31-03-2019** तक के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित भांग गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति देने का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत निविदा (टेण्डर) **संलग्नक-1** में अंकित प्रभार/प्रभार के जनपदों के लिए अलग-अलग आमंत्रित किये जाते हैं। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों/प्रभार के जनपदों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। टेण्डर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में **₹ 10000/- (दस हजार)** का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त धरोहर की राशि किसी शिड्यूल बैंक के फिक्सड डिपोजिट/नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पद नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) हो, के रूप में भी दी जा सकती है:-

- (1) निविदा-पत्र के साथ निविदाकर्ता को स्व प्रमाणित अपने पैन कार्ड की छाया प्रति वर्ष 2016-17 के आयकर रिटर्न की छाया प्रति तथा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (2) भांग स्वतः उगी हुई होगी और **सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, रामपुर, मुरादाबाद, रायबरेली जिलों** में से किसी भी जिले से प्राप्त की जा सकती है। भांग सर्वोत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- (3) टेण्डरदाता टेण्डर के साथ अपने निवास जनपद के जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा कि उसका चरित्र अच्छा है, और वह आबकारी अपराधों में दण्डित नहीं है तथा उसके ऊपर आबकारी देयों का कोई बकाया नहीं है।
- (4) निविदा में भांग का प्रति किलोग्राम मूल्य, जिस पर कि निविदा देने वाला अपने क्षेत्र में आबकारी गोदामों पर आपूर्ति देने को तैयार है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इस मूल्य में प्रतिफल फीस सम्मिलित नहीं होगी। आबकारी गोदामों की स्थिति संलग्नक-1 के चौथे स्तम्भ में दी गयी है।

एक ठेके के क्षेत्र में सभी गोदामों पर मूल्य एक समान होगा। भांग के कलेक्शन, संचय व परिवहन की प्रचलित दरों के आधार पर आपूर्ति की कुल लागत, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, मीरजापुर, सहारनपुर, कानपुर, मेरठ व आजमगढ़ चार्ज के गोदामों के लिए **₹ 19/- प्रति किलोग्राम** एवं इलाहाबाद व चित्रकूटधाम चार्ज के लिए **₹ 20/- प्रति किलोग्राम** एवं आगरा, अलीगढ़ व झांसी चार्ज के लिए **₹ 24/- प्रति किलोग्राम** कमशः निर्धारित की गयी है, से कम दर का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (5) प्रतिफल फीस की प्रचलित दर के संबंध में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उसे ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य किसी भी समय आवश्यकतानुसार इसे घटा/बढ़ा सकती है। भांग के वित्तीय वर्ष 2018-19 के एम0जी0क्यू0 के आकड़े **संलग्नक-2** में प्रत्येक जिले के नाम के सामने अंकित है, किन्तु थोक भांग आपूर्तिक को अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित गोदामों में उनके मांग के अनुसार भांग की आपूर्ति करनी होगी। सरकार भांग की निकासी की किसी निश्चित मात्रा का आश्वासन नहीं देती है, और यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि नशाबन्दी या तत्सम्बन्धित प्रसार से ठेकेदार को अपने व्यवसाय में होने

- वाली हानि के लिए उत्तरदायी न होते हुए मादक द्रव्यों की बिक्री की दुकानों की संख्या कम कर दें, निकासी पर रोक लगा दें या किसी ठेके के क्षेत्र में या उसके किसी भाग में मादक द्रव्यों के विक्रय या रक्षण पर अपने विवेकानुसार प्रतिबन्ध लगा दें और सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखती है कि मादक द्रव्य के ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य में कय मूल्य अथवा प्रतिभूति धनराशि का पुर्ननिर्धारण कर दें।
- (6) आबकारी बंधित गोदाम (**संलग्नक-1**) में दिये गये स्थानों पर स्थित है, किन्तु सरकार ठेके की अवधि में नये गोदाम खोलने और पुराना बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। थोक आपूर्तक अपने क्षेत्र में सभी गोदामों में समय-समय पर सरकार की आज्ञानुसार भांग रखने, संचय करने तथा निकासी देने के लिए बाध्य होगा। भांग रखने, तोलने तथा निकासी देने की सभी वस्तुएं आपूर्तक द्वारा दी जायेगी। नगरीय निकाय में स्थित गोदाम सम्बन्धी समस्त कर आपूर्तक देगा।
  - (7) मादक द्रव्यों की समुचित अभिरक्षा के लिए थोक आपूर्तक बंधित आबकारी गोदाम पर स्वतंत्र रूप से वेतन देकर चौकीदार रखेगा। गोदाम में किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व थोक आपूर्तिकर्ता ठेकेदार पर होगा।
  - (8) जहाँ सरकार द्वारा दिये हुए आबकारी बंधित गोदामों में पर्याप्त मात्रा में भांग रखने के लिए समुचित स्थान नहीं है, अथवा राजकीय गोदाम नहीं है, वहाँ ठेकेदार को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने व्यय पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत भवन और स्थान पर इस उद्देश्य के लिए गोदाम रखने पड़ेगें।
  - (9) उपरोक्त प्रस्तर-6 के अनुसार बंधित गोदामों को दी हुई वस्तुएं आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। यदि ठेके की अवधि की समाप्ति पर ठेका पुराने ठेकेदार को नहीं मिलता है तो नये ठेकेदार को, यदि पुराना ठेकेदार चाहे तो, उसकी समस्त वस्तुओं को कय करना होगा और इस संबंध में कोई विवाद उठने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। नया ठेकेदार

- निर्णय के एक मास के भीतर निर्णीत मूल्य देने के लिए बाध्य होगा अन्यथा उसका ठेका रद्द किया जा सकता है और आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 पुराने ठेकेदार को दिया जाने वाला मूल्य नये ठेकेदार के खाते में किसी सरकारी खजाने में जमा किसी भी धन से काटकर दे सकते हैं।
- (10) गोदामों के सभी कार्य सरकारी देख-रेख में होंगे और इस हेतु सरकारी स्टाफ का व्यय सरकार वहन करेगी।
  - (11) निविदा (टेण्डर) प्रारूप (**संलग्नक-3**) में मुहरबन्द करके देना चाहिए। लिफाफे पर "भांग की थोक आपूर्ति के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय में **दिनांक 13-03-2018 को 12.00 बजे मध्यान्ह** तक पहुँच जाना चाहिए। उसी दिन टेण्डर **अपरान्ह 03.00 बजे** सभी टेण्डरदाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों द्वारा खोला जायेगा। जनपद इलाहाबाद एवं गोरखपुर से संबंधित टेंडर दिनांक 16.03.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे उक्त कार्यालय में ही खोला जायेगा।
  - (12) आबकारी आयुक्त का यह सुरक्षित अधिकार है कि वह जनहित में सर्वाधिक लाभप्रद निविदा को स्वीकार करें, तथा अन्य प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करें।
  - (13) उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनके निविदा स्वीकार किये गये हैं, के लिये यह आवश्यक होगा कि निर्णय की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दिये गये ठेके के उचित निर्वाह के लिए प्रतिभूति के रूप में रूपये 25,000/- (पचीस हजार) की धनराशि नकद या सरकारी सिक्योरिटी के रूप में, जिसका तात्कालिक मूल्य रूपये 25,000/- (पचीस हजार) हो, जमा करें।

- (14) भांग के थोक आपूर्तक द्वारा दिया जाने वाला **शपथ पत्र** संलग्नक-4 है, जिस पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।
- (15) बिना आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 की पूर्व स्वीकृति के ठेकेदार न तो किसी व्यक्ति को साझे में ले सकता है और न अपने ठेके को हस्तान्तरित कर सकता है।
- (16) निविदा के साथ निविदा देने वाले को प्रचलित वर्ष में या विगत वर्ष में यदि उसके पास कोई आबकारी ठेका था, तो उसका पूर्ण विवरण देना चाहिए ताकि अधिकारियों को उसकी आर्थिक स्थिति का समुचित ज्ञान हो जाये। निविदा देने वाले को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किसी और दिये गये निविदा में अथवा किसी और क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले निविदा में भी स्वार्थ रखता है। ठेकेदार अपने ठेके के क्षेत्र की फुटकर बिक्री की किसी दुकान में किसी प्रकार का हिस्सा अथवा स्वार्थ नहीं रखेगा।
- (17) टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में आपूर्तक को निर्धारित संचय केन्द्रों पर सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें भांग के भण्डारण/तौल आदि के लिए पर्याप्त स्थान चारदीवारी अथवा कांटेदार तार से घिरा स्थान उपलब्ध हो।
- (18) प्रत्येक टेण्डरकर्ता अपनी पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटोग्राफ किसी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करेगा। उसके साथ
- टेण्डरकर्ता का नाम, पिता का नाम व पता उसके प्रमाणित हस्ताक्षर सहित भी प्रस्तुत करेगा जो टेण्डर के साथ संलग्न किया जायेगा।
- (19) चयनित आपूर्तक द्वारा माह जनवरी तक उसको आवंटित जनपदों में भांग के सम्पूर्ण वार्षिक कोटे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आबकारी आयुक्त आपूर्ति की अवधि के सम्बन्ध में निविदा स्वीकृत होने के पूर्व अथवा मध्य सत्र में भी आवश्यकतानुसार निर्देश जारी कर सकते हैं।

### टिप्पणी

यदि निविदा देने वालों द्वारा प्रस्तुत इस निविदा का अन्य किसी निविदा में सम्बन्धित विवरण असत्य सिद्ध हुआ तो ठेका रद्द किया जा सकता है और जमानत की धनराशि समपहृत की जा सकती है। थोक भांग आपूर्तक नियुक्त किये जाने के बाद यदि कोई टेण्डरदाता थोक भांग आपूर्ति का अनुज्ञा-पत्र (आई0डी0-3) इस कार्यालय से समयान्तर्गत नहीं प्राप्त करता है तो टेण्डर के साथ उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर की राशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी।

निविदा देने वाले को सावधान किया जाता है कि वह बिल्कुल मनगढ़न्त दरों पर सट्टेबाजी की भावना से निविदा पत्र प्रस्तुत न करें। ठेके की अवधि में दर के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(धीरज साहू)  
आबकारी आयुक्त  
उत्तर प्रदेश।